**आर.टी.आई.**
**स्पीड पोस्ट**

मि.स. 29-01/2023-स्थापना/आर.टी.आई.

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय

कृषि विस्तार भवन
आई.ए.एस.आर.आई. campus, पूसा
नई दिल्ली-110012
दिनांक 13 जुलाई, 2023

सेवा में

चौधरी अजीत सिंह
पुत्र श्री राजकरन
ग्राम-कौड़ीकोल बुजुर्ग, पोस्ट- कौड़ीकोल
जिला-बस्ती, उत्तर प्रदेश ।

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति- विस्तार निदेशालय से सम्बंधित सूचना प्राप्त करने के लिए चौधरी अजीत सिंह, उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में सूचना देने से सम्बंधित (पंजीकरण संख्या DOEXT/R/T/23/00043 दिनांक 16-06-2023)

महोदय

कृपया आप अपने आर.टी. आई. अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्या का अवलोकन करें जिसमे आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निदेशालय से सम्बंधित सूचना निम्नवत है :-

| मांगी गई सूचना | जवाब |
|---|---|
| 1. नेशनल फ़ूड सिक्यूरिटी मिशन दलहन घटक केन्द्रांश/राज्यांश- में लघु/समान्त श्रेणी के किसान को रोटावेटर पर कितना अनुदान मिलता है और अन्य कृषक को कितना अनुदान दिया जाता है. अगर कृषक द्वारा लघु/समान्त का प्रमाण-पत्र लगा है और अनुदान अन्य कृषक में भुगतान किया गया है तो इसका प्रमाण-पत्र लगाने का क्या मतलब है.<br>2. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन में केन्द्रांश/राज्यांश में लघु एवम सीमान्त के कृषक को रोटावेटर में कितना अनुदान मिलता है एवेम अन्य कृषक को कितना अनुदान मिलता है.<br>3. नेशनल फ़ूड सिक्यूरिटी मिशन दलहन घटक केन्द्रांश/राज्यांश में लघु सीमान्त श्रेणी का प्रमाण पत्र है, लेकिन कृषक को अनुदान की धनराशी अन्य कृषक में किया गया है तो इसका मतलब क्या है, बताने का कष्ट करें.<br>4. प्रार्थी भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे सभी योजनाओं में कितना लाभ उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है । लघु/सीमान्त एवं अन्य कृषक पर कितना अनुदान देय है, एक प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करे.<br>5. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रमोशन ऑफ़ एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन फॉर इन्सीटू मैनेजमेंट ऑफ़ क्रॉप रेसीडयू में बुलंद शहर में लक्ष्य से ज्यादा फार्म मशीनरी बैंक का टोकन कन्फर्म हुए है, जबकि अन्य जिलों में लक्ष्य भर ही कन्फर्म है, ऐसा क्यों. | प्रार्थी द्वारा मांगी गयी जानकारी विस्तार निदेशालय से सम्बंधित नहीं है, फिर भी विस्तार निदेशालय द्वारा चलाई जा रही आत्मा योजना किसानों के कल्याण एवं विकास हेतु वर्ष 2005 से अम्ल में है । यह योजना वर्तमान में 28 राज्यों एवं 05 केंद्र शासित प्रदेशों के 704 जिलों में क्रियान्वित है । आत्मा योजना के अंतर्गत किसानो को नवीनतम तकनीकी जानकारी दी जाती है । नवीनतम कृषि तकनीकी जानकारी हेतु कृषकों को प्रशिक्षण, प्रदर्शन, भ्रमण दौरों, किसान मेला, किसान गोष्ठी, कृषक-वैज्ञानिक-परिचर्चा, फार्म स्कूलों इत्यादी गतिविधियों के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है । इसके अलावा प्रगतिशील किसानों को उनके उत्कृष्ठ कार्यो हेतु पुरुस्कार दे कर सम्मानित भी किया जाता है । इस योजना में सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं है । आत्मा योजना के दिशा-निर्देश http://extensionreforms.dacnet.nic.in/PDF/atmaguid23814.pdf web लिंक पर क्लिक् कर देखे जा सकते है । |

..2/-

आपको सूचित करना है कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिए यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है। प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत है :-

डॉ शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार)
विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कमरा न० 204,
कृषि विस्तार सदन, पूसा, नई दिल्ली-110012
दूरभाष - 011-25849881 व ई-मेल पता- shailesh.mishra29@gov.in

भवदीया

एस. भानुमति

(एस. भानुमति)
उप० निदेशक (प्रशासन एवं. सी.पी.आई.ओ.)/प्रभारी
दूरभाष :- 011-25846467
ई-मेल :- deepa.pande65@gov.in

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याम विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई.), आर.टी.आई. सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. इनचार्ज, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त जवाब को विस्तार निदेशालय की वेबसाइट www.krishivistar.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।